JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

**डॉ0 डिगर सिंह फर्स्वाण, नीरज कांडपाल**

**सह- प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शोध छात्र**

**शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय**

**सारांश:**

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर समाज व देश में है क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास करता है भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं। उन्हें एक साथ इसलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा उनमें समाजीकरण का विकास हो सके एवं उन बच्चों में हीन भावना न पनपने पाए। इस शोध पत्र का उद्देश्य प्राथमिक स्तर में शिक्षण कर रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। चूँकि किसी भी विद्यालयी स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण घटक उस विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक को ही माना जा सकता है। अतः शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जो कि उन्हें अपने विषय ज्ञान को प्रभावी रूप से सभी छात्रों तक, चाहे छात्र किसी भी बौद्धिक पृष्ठभूमि से हो, पहुचाने के लिए प्रेरित करता है। अध्ययन हेतु जनसँख्या का चयन उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जनपद नैनीताल में अवस्थित सभी शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के रूप में किया गया है, जिसमें से न्यादर्श स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि की सहायता से 50 सरकारी एवं 50 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का आंकलन करने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षकों की अभिवृति का परीक्षण करने के लिए शिक्षक अभिवृति मापनी (डॉ विशाल सूद तथा डॉ आरती आनंद, 2011) का उपयोग किया गया है तथा परीक्षणोंपरान्त प्राप्त आकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु माध्य, मानक-विचलन एवं t-परीक्षण आदि का उपयोग किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण के उपरान्त प्राप्त निष्कर्ष यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर में शिक्षण कर रहे शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाए लगभग सामान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

प्रमुख शब्दावली: समावेशी शिक्षा, अभिवृत्ति, प्राथमिक शिक्षा, शहरी, ग्रामीण तथा विशिष्ट बालक।

**प्रस्तावना:**

समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ-साथ सीखने संबंधी कमी या असमर्थता वाले बालक जो विशेष आवश्यकता वाले होते है इस वर्ग में आते हैं। ये बालक मानसिक रूप से मंद नहीं होते परन्तु सामान्य बालकों की तुलना में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। कक्षा में सामान्य बालकों को जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे ग्रहण करने में ये बालक असफल रहते हैं। इस कारण से वे दुःखी व तनावग्रस्त रहते हैं। उनके मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि जीवन में सफल नहीं हो सकते। कुछ बच्चे विद्यालय से भागकर आवारागर्दी करने लगते हैं। प्राथमिक स्तर पर लगभग 20 प्रतिशत बालक अधिगम दृष्टि से अयोग्य होते हैं। प्रायः अधिगम बाधित बालक पढ़ने, समझने, गणित करने, तर्क– वितर्क करने में बहुत कम उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। अधिगम असमर्थता एक ऐसा मूल शब्द है जो ऐसे समूह की ओर संकेत करता है जो श्रवण, वाचन, अध्ययन, लेखन, तर्क और गणितीय जैसी योग्यताओं में सार्थक रूप से कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये कठिनाइयाँ किसी भी व्यक्ति की आंतरिक होती हैं जो केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की विकृत क्रिया के परिणामस्वरूप घटित होती हैं।

हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहाँ पर प्रत्येक मनुष्य विविध आयामों में तुलनात्मक रूप से आंशिक अथवा व्यापक रूप से एक दूसरे से भिन्न है। कहीं यह भिन्नता शारीरिक संरचना के आधार पर स्पष्टतः दृष्टिगत होती है तो कहीं व्यावहारिक आधार पर इसे समझने में विशेष कौशल की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे किसी मनुष्य की लम्बाई, रंग, वेशभूषा अथवा कोई विशिष्ट शारीरिक लक्षण को तो देखकर भिन्नता का अनुभव सरलता से किया जा सकता है किन्तु उसकी बौद्धिक क्षमता, संवेगात्मक स्थिरता तथा अस्थिरता को जानने के लिए तो विशेष कौशल होना अति आवश्यक है। इन कौशलों की आवश्यकता किसी मनुष्य के लिए तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब वह एक शिक्षक के रूप में समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प करते हुए शिक्षण व्यवसाय का चुनाव करता है। किन्तु किसी भी कौशल के विकास एवं उसकी प्रभावपूर्ण उपयोगिता तभी संभव है जब एक शिक्षक में सभी छात्रों के हित के लिए विशिष्ट योगदान देने का दृष्टिकोण अर्थात अभिवृत्ति हो। शिक्षा के इसी आधार को केंद्र मानते हुए विगत कुछ वर्षो से वैश्विक स्तर पर भी समावेशी शिक्षा, जिनमें सामान्य के साथ-साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हो, की संकल्पना व्यापक रूप से विकसित हो रही है। हमारे देश में भी समय-समय पर छात्र हित में चलायी जा रही विविध शैक्षिक योजनाओं जैसे सर्व-शिक्षा अभियान-2001,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-2009, शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009, समग्र शिक्षा अभियान-2018 के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक बालक-बालिका को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है और विद्यालयी नामांकन दर में भी अविश्वसनीय वृद्धि हुई है, किन्तु इतने सराहनीय प्रयासों के उपरान्त भी छात्रों का एक वर्ग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सका है जो कि शिक्षा से जुड़े सभी उपक्रमों एवं शिक्षकों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के माध्यम से ऐसे 21 वर्ग सुनिश्चित कर उनकी 6-18 वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का सराहनीय प्रयास कर उनको समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से सभी शैक्षिक एवं शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में विविध कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन कर शिक्षक वर्ग में समावेशी शिक्षा की उचित संकल्पना एवं अभिवृत्ति का विकास करने का प्रयास किया जाता रहा है एवं भविष्य में भी किया जाता रहेगा। इस अध्ययन के माध्यम से शोधकर्ता द्वारा शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति विकसित अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है जिसमें कि विशेषतः ग्रामीण परिवेश में अवस्थित शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं शहरी परिवेश में अवस्थित शिक्षक-शिक्षिकाओं को शामिल किया गया है।

**अध्ययन की सार्थकता:**

समावेशी शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन और दृष्टिकोण है जो सभी छात्रों को उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, क्षमताओं, विकलांगताओं या विशेष आवश्यकताओं की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करना चाहता है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत सीखने का ऐसा माहौल बनाना है जहां हर छात्र, अपने मतभेदों की परवाह किए बिना, एक साथ भाग ले सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। समावेशी कक्षाएँ वे हैं जहाँ विविधता का स्वरूप दिखता है, और व्यक्तिगत मतभेदों को मूल्यवान संपत्ति माना जाता है, न कि बाधाएँ। यहां, उद्देश्य केवल सहिष्णुता सिखाना नहीं है, बल्कि जीवन की उस अनुभूति का आनंद लेना है जिसे छात्र मिलकर बनाते हैं। इस समावेशी शैक्षिक

यात्रा में, प्रत्येक छात्र सामूहिक सीखने के अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है, जिससे सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध वातावरण बनता है। शिक्षा को किसी मनुष्य के जीवन में सामान्य जीवन कौशलों के विकास के साथ-साथ समाज में हो रहे आधुनिकीकरण की समझ का विकास करते हुए सामाजिक परिवर्तनों एवं नवीन चुनौतियों को सहज भाव के साथ स्वीकार करते हुए एक अच्छे जीवन यापन एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने का सर्वोत्तम साधन के रूप में देखा जाता रहा है। किन्तु प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमताओं में विविधता सभी को एक समान शैक्षिक वातावरण में समावेशित कर पाना शिक्षण-अधिगम क्षेत्र की एक व्यापक एवं सार्वभौमिक चुनौती प्रस्तुत करती है। विशेषतः जब बात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की हो तो यह चुनौती असीमित सी होती प्रतीत होती है। इस प्रकार की शैक्षिक चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में विगत कुछ वर्षों से समावेशी शिक्षा को देखा जा रहा है जोकि प्रत्येक छात्र की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनमें सामान्य एवं व्यावसायिक सभी तरह के संभावित कौशलों के विकास में अद्वितीय भूमिका निभा रही है। किन्तु प्रत्येक शिक्षा की मुख्य धुरी के रूप में शिक्षक की ही कल्पना की जाती अतः समावेशी शिक्षा के सफल होने के लिए भी शिक्षकों में समावेशी शिक्षा की आधारभूत समझ का होना अत्यंत आवश्यक है जिसकी सहायता से शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके एवं प्रत्येक छात्र की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में उनका सहयोग किया जा सके।

**समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका**

कक्षा में, बच्चे जीवंत मोतियों की तरह होते हैं, और शिक्षक उस धागे की तरह काम करते हैं जो उन्हें मनोरम शिक्षा के एक शानदार हार में पिरोता है। सक्रिय शिक्षकों के बिना, समावेशी शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। शिक्षक ज्ञान बांटने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं; वे छात्रों की भावनाओं की भी परवाह करते हैं, उन्हें अनुकूलन के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करते हैं। समावेशी शिक्षा में पहला कदम समावेशी कक्षा के लिए मंच तैयार करना है। शिक्षक ऐसा माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां हर छात्र स्वागत, सम्मान और महत्व महसूस करे। इसका अर्थ है समावेशी भाषा का उपयोग करना, सहानुभूति को बढ़ावा देना और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षकों को अपने छात्रों की विविध आवश्यकताओं के बारे में जानकार होना चाहिए। इसमें सीखने की अक्षमताओं, व्यवहार संबंधी चुनौतियों और किसी अन्य विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना शामिल है। एक बार पहचाने जाने के बाद, शिक्षक इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों और सामग्रियों को तैयार कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा विभेदित शिक्षा पर पनपती है। शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए अपनी शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करना चाहिए। इसमें पाठ योजनाओं को संशोधित करना, वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना या अतिरिक्त सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है।

अतः शोधकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड के कुमाऊं मण्डल के अंतर्गत जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि समावेशी शिक्षा के संचालन में आने वाली सम्बंधित चुनौतियों की जानकारी भी प्राप्त हो सके और भविष्य की शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में एक सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके।

**अध्ययन का उद्देश्य:**

- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

**अध्ययन की परिकल्पनाएं:**

- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष और महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

**शोध समस्या का सीमांकन:**

- प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल उत्तराखंड राज्य के कुमाऊ मंडल के जनपद नैनीताल तक सीमित किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन कुमाऊ मंडल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं तक सीमित किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन कुमाऊ मंडल के प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं तक सीमित किया गया है।

**अध्ययन विधि**

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है।

**जनसँख्या**

अध्ययन हेतु जनसँख्या का चयन उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जनपद नैनीताल में अवस्थित सभी शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों शिक्षक-शिक्षिकाओं के रूप में किया गया है, जिसमें से न्यादर्श स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि की सहायता से 50 सरकारी एवं 50 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया।

**न्यादर्श चयन**

स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि की सहायता से 50 सरकारी एवं 50 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया। शोध अध्ययन हेतु सभी विद्यालयों तथा शिक्षक- शिक्षिकाओं का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन माध्यम से किया गया है। जिले प्रत्येक विकासखंड से पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

**शोध उपकरण**

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का आंकलन करने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षकों की अभिवृति का परीक्षण करने के लिए शिक्षक अभिवृति मापनी (डॉ विशाल सूद तथा डॉ आरती आनंद, 2011) का उपयोग किया गया है

**प्रदत्तों का संग्रहण**

आंकड़ों के संग्रहण हेतु शोधकर्ता द्वारा सर्वप्रथम कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले के प्राथमिक विद्यालयों एवं उनमें सेवारत शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची प्राप्त किया गया किया तत्पश्चात इन विद्यालयों से शोध कार्य हेतु प्रयुक्त आंकड़ों का संग्रहण किया गया।

**सांख्यिकीय विधियाँ**

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आंकड़ो के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए केन्द्रीय प्रवृति की मापों तथा t-परीक्षण तकनीक का उपयोग किया गया है। t- फलांक के आधार पर 0.05 पर सार्थकता स्तर की जांच की गयी है।

**सारणी-1**

**शिक्षक अभिवृत्ति मापनी में विविध आयामों में वर्गीकृत कथनों का विवरण**

| क्र. स. | आयाम | प्रकृति | प्रश्न संख्या | कुल प्रश्न |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मनोवैज्ञानिक/व्यवहारिक | अनुकूल | 1, 10, 16, 37, 45 | 5 |
| | | प्रतिकूल | 5, 7, 14, 21, 27 | 5 |
| 2. | सामाजिक एवं अभिभावक सम्बंधित | अनुकूल | 2, 8, 12, 20, 23, 26, 29, 31, 32 | 9 |
| | | प्रतिकूल | 17, 38, 39 | 3 |
| 3. | पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी | अनुकूल | 3, 9, 13, 18, 24, 34, 40, 44 | 8 |
| | | प्रतिकूल | 4, 15, 22, 42, 46 | 5 |
| 4. | प्रशासनिक | अनुकूल | 6, 11, 19, 28, 30, 35, 41 | 7 |
| | | प्रतिकूल | 25, 33, 36, 43, 47 | 5 |
| कुल | | | | 47 |

उक्त शिक्षक अभिवृत्ति मापनी में 4 प्रमुख आयामों में प्रत्येक के लिए कुछ अनुकूल एवं कुछ प्रतिकूल कथन लिए गये है जिनका विवरण तालिका संख्या 3.9 में क्रमवार किया गया है। प्रत्येक कथन या प्रश्न के लिए 3 विकल्प यथा सहमत, अनिर्णीत, असहमत के माध्यम से प्रयोज्य से सूचना का संग्रहण किया गया है जिसमें अनुकूल कथनों के सापेक्ष सहमत के लिए 3 अंक, अनिर्णीत के लिए 2 अंक तथा असहमत के लिए 1 अंक तथा प्रतिकूल कथनों के सापेक्ष सहमत के लिए 1 अंक, अनिर्णीत के लिए 2 अंक तथा असहमत के लिए 3 अंक निर्धारित किये गये है। मापनी द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक किसी प्रयोज्य का समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का व्यक्तिगत अभिवृत्ति प्राप्तांक माना जाएगा। अधिक प्राप्तांक शिक्षक में समावेशी शिक्षा के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति तथा निम्न प्राप्तांक प्रतिकूल अभिवृत्ति प्रदर्शित करेगा।

**आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या:**

शोध समस्या के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या, विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। इस अध्ययन में उत्तराखण्ड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालय एवं वहां पर कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की वास्तविक स्थिति का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

1- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य-समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

**सारणी-2**

**समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन**

| समूह | न्यादर्श | माध्य | मानक विचलन | t | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण | 50 | 112.78 | 7.70 | 1.09 | सार्थक अंतर नहीं |
| शहरी | 50 | 114.48 | 7.87 | | |

सारणी-2 में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। सारणी में प्रस्तुत आकड़ों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि नैनीताल जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई

सार्थक अंतर नहीं पाया गया। यहाँ पर t का मान 1.09 प्राप्त हुआ। यद्यपि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य एवं मानक विचलन में अंतर था तथापि यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए।

2- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

**सारणी- 3**

**समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन**

| समूह | न्यादर्श | माध्य | मानक विचलन | t | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| महिला शिक्षक | 50 | 114.50 | 7.96 | 1.11 | सार्थक अंतर नहीं |
| पुरुष शिक्षक | 50 | 112.76 | 7.60 | | |

सारणी-3 में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। सारणी में प्रस्तुत आकड़ों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। यहाँ पर t का मान 1.11 प्राप्त हुआ। यद्यपि पुरुष एवं महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य एवं मानक विचलन में अंतर था तथापि यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुष एवं महिला शिक्षक लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए।

**निष्कर्ष:**

कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए। समावेशी विद्यालय में कक्षा शिक्षक की भूमिका और महत्त्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे सामान्य छात्रों के साथ–साथ विशेष आवश्यकताओं वाले निःशक्त बालकों का भी ध्यान रखना होता है। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं, समस्याओं, विशेषताओं, लक्षणों की पहचान के अनुरूप उनके लिए शैक्षिक व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है। श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले तथा वंचित असविधाग्रस्त वर्ग के बालकों की अपनी–अपनी शारीरिक मानसिक सांस्कृतिक, सामाजिक कमियाँ होती हैं। एक अच्छे कक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपनी कक्षा में प्रवेशित इन वर्गों के बालकों की कमियों तथा खूबियों (गुणों) को पहचाने तथा उसके अनुसार आवश्यक होने पर उचित व्यवस्था का प्रबंध कर सके। साथ ही कक्षा शिक्षक को विशेष व सामान्य बालकों की वैयक्तिक विशेषताओं एवं विभिन्नताओं की पहचान होनी चाहिए। विशेषकर मानसिक व संवेगात्मक भिन्नताएं अधिगम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालकों की बुद्धिलब्धि, उनकी रुचियाँ, स्वभाव, अभिवृत्तियों की पहचान कर कक्षा शिक्षक उनके आधार पर शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है। कुछ विशिष्ट व सामान्य बालकों में कुछ खूबियाँ भी होती हैं जैसे अंधे या अस्थि विकलांगता वाले कुछ बालक अच्छे गायक होते हैं, कुछ अच्छे वादक होते हैं। कुछ सामान्य बालक भी सृजनशील तथा कलात्मक रुचि के होते हैं। ऐसे बालकों की पहचान कर कक्षा शिक्षक को उन बालकों की प्रतिभा का उपयोग पाठ्यसहगामी क्रियाओं के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

**शैक्षिक निहितार्थ:**

अध्ययन से प्राप्त परिणाम वर्तमान परिदृश्य में समावेशी शिक्षा की संकल्पना को स्थापित करने के क्रम में सहयोगी हो सकते है तथा समावेशी शिक्षा के प्रति के साथ साथ उसकी व्यावहारिक समझ के विकास की ओर भी विचार करने के लिए शिक्षा नियोजकों को प्रेरित किया जा सकता है, शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी महिला एवं पुरुष शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विद्यालयी गतिविधियों में आवश्यक नवाचारों के अनुपालन द्वारा विद्यालय में समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण निर्माण की संकल्पना को साकार किया जा सके क्योंकि विद्यालय में समावेशी वातावरण निर्माण का प्रमुख घटक शिक्षक-शिक्षिकाएं ही हो सकते है। इसी क्रम में विशिष्ट शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षकों में आवश्यक योग्यता का विकास किया जाने पर भी विचार किया जा सकता है। शिक्षकों को अपने छात्रों की विविध आवश्यकताओं के बारे में जानकार होना चाहिए। इसमें सीखने की अक्षमताओं, व्यवहार संबंधी चुनौतियों और किसी अन्य विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना शामिल है। एक बार पहचाने जाने के बाद, शिक्षक इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों और सामग्रियों को तैयार कर सकते हैं। कक्षा शिक्षक को निःशक्त बालकों की बैठक व्यवस्था पर ध्यान देना होता है। श्रवणबाधित बालकों को सामने की सीटों पर बैठाना ताकि वे सरलता से कक्षा की बातों को सुन सके। मंद दृष्टि वाले बालकों के लिए भी कक्षा में सामने की बैठक व्यवस्था कक्षा शिक्षक को करनी चाहिए ताकि श्यामपट (ब्लेक बोर्ड) पर लिखी बातों को पढ़ने में उन्हें कठिनाई न हो। मंदबुद्धि वाले बालकों तथा धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों के साथ एक सामान्य उपयुक्त संगी–साथी को बैठाने से तथा उसे सहायता करने से कक्षा शिक्षक को सुविधा होती है। अस्थि विकलांग बालक हेतु उसके बैशाखी, व्हीलचेयर, ट्रायसिकल आदि को कक्षा के बाहर रखने की व्यवस्था तथा कक्षा में उसकी सहायता के लिए बालक की व्यवस्था भी कक्षा शिक्षक को करनी चाहिए। कक्षा शिक्षक को कक्ष में प्रकाश तथा वायु हेतु भी व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा में आधुनिक शिक्षोपकरणों के रखरखाव, कक्षा के बालकों के अभिलेख (रिकॉर्ड) की फाइलों को व्यवस्थित रखने आदि उत्तरदायित्व भी कक्षा शिक्षक की होती है। अतः समावेशी शिक्षा के सफल संचालन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सर्वप्रथम शिक्षकों को इस शिक्षा के समस्त पहलुओं की जानकारी होना आवश्यक है।

**सन्दर्भ सूची:**


- गैरेट, एच. ई. 1981.मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी. दशम संस्करण, बी एफ एण्ड सन्स बाम्बे।
- गुप्ता, दलजीत. 1983. ‘‘ए क्रिटिकल स्टडी आफनानफारमल एजुकेशन प्रोग्राम’’ (ऐज ग्रुप 9-14) रन बाई डिफ्रेन्ट एजेन्सीज इन द स्टेट आफ मध्य प्रदेश पी0एच0डी0 एजुकेशन, भोपाल विश्वविद्यालय।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2002.सर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक अभियान. नई दिल्ली: प्रारम्भिक शिक्षा एंव साक्षरता विभाग।
- नयाल, जी. एस.1985.विद्यालय से पलायन के कारण. भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष द्वितीय, अंक चतुर्थ, एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020/समावेशी शिक्षा, https://pib.gov.in
- रैकवार,रामगोपाल. 2000. प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता स्तर की समस्या, प्राइमरी शिक्षक, अप्रैल,12-16।
- शर्मा युक्ति, समावेशी शिक्षा,पीअर्सन पब्लिकेशन।
- https:/www.mha.gov.in, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016।
- https:/www.education.gov.in, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
- एजुकेशन फॉर आल: टुवर्ड्स क्वालिटीविथ इक्विटी 2016।
- देवी, कुसुम. समावेशन शिक्षा में अध्यापकों के उत्तरदायित्व एवं भूमिका: एक समीक्षा।

- निमांटे, दिता. समावेशी शिक्षा के लिए उनकी योग्यताओं पर शिक्षकों का परिप्रेक्ष्य।
- सिंह, शिबा.2020. अ स्टडी ऑफ़ एटिट्यूड ऑफ़ टीचर्स टूवर्ड्स इनक्लूसिव एजुकेशन।
- Farswan, D. S. (2023). National Education Policy 2020 and Teacher Education in India. Mukt Shabd Journal, 13(1), 770-782.
- Farswan, D. S. (2023). NEP 2020 and inclusive education in India. JOURNAL OF XI' AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY 16(1), 581-591.